

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.1(29)(2)/रानिआ/लेखा/बजट/2025-26/946

दिनांक: 24.01.2026

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिती,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय:- पंचायत आम चुनाव 2026 की वीडियोग्राफी की व्यय सीमा निर्धारण बाबत।

प्रसंग:- आयोग का पत्र क्रमांक प.7(1)(3) पंचा/रानिआ/14-15/448 दिनांक 13.01.2026

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने एवं राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन हेतु वीडियोग्राफी कराये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग के पत्र क्रमांक प.7(1)(3) पंचा/रानिआ/14-15/448 दिनांक 13.01.2026 में प्रदान किये हुए हैं। आगामी पंचायत आम चुनाव 2026 के लिए की जाने वाली वीडियोग्राफी पर होने वाले व्यय में मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार वीडियोग्राफर की संख्या निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वीडियो ग्राफर की संख्या
1	चुनाव पर्यवेक्षक (चुनाव क्षेत्र में नियुक्ति के दौरान)	एक
2	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)	एक
3	रिटर्निंग ऑफीसर (पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन)	एक
4	सहायक रिटर्निंग ऑफीसर (पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन)	एक
5	जिला कंट्रोल रूम (यदि आवश्यकता हो)	अधिकतम तीन
6	अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर (कुल बूथों की संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत तक)	एक-एक वीडियोग्राफर प्रति मतदान दिवस

वीडियोग्राफी के संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि, आदर्श आचार संहिता की पालना के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नामांकन की तिथि से मतदान दिवस, मतगणना दिवस तथा जिला प्रमुख/उपप्रमुख/प्रधान/उपप्रधान के चुनाव दिवस पर महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यकतानुसार स्वविवेक से करवा सकेंगे। जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य तथा सरपंच व पंच के मतदान दिवस पर जिला निर्वाचन अधिकारी संवेदनशील/अतिसंवेदनशील बूथों की (कुल बूथों की संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत तक) वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी। किन्तु संवेदनशील/अतिसंवेदनशील बूथों की संख्या 20

प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान हो तो आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाकर अतिरिक्त वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।

संरपच/पंच के नाम-निर्देशन दिवस पर भी जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यक होने पर स्वविवेक से वीडियोग्राफी करवा सकेंगे।

उक्त वीडियोग्राफी कार्य आयोग द्वारा इसके लिए आवंटित बजट की सीमा में किया जाना सुनिश्चित करावें। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त संसाधनों/व्यय की आवश्यकता प्रतीत होने पर आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जावे।


(राजेश वनी)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- प.1(29)(2)/रानिआ/लेखा/बजट/2025-26/947-952

दिनांक 24.01.2026

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपसचिव/सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. पंचायत चुनाव शाखा/भण्डार शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. कम्प्यूटर शाखा/लेखा शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
6. गार्ड फाईल।


4301/26
(सुरेश चन्द मीणा)
वरिष्ठ लेखाधिकारी, राज्य
निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर